# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

**प्रार्थी** श्री लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीदास

**करम मुकदमा** धारा–111, 128 भू–राजस्व अधिनियम

**विपक्षी** श्री शंकरलाल व अन्य

**प्रकरण संख्या** 48/2023

| | कार्यवाही विवरण | |
|---|---|---|
| 21–05–2024 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली मे उभयपक की बहस सुनी गई।<br><br>अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपना प्रार्थना पत्र दोहराते हुए कथन किया है कि मौजा अदकालिया पटवार हल्का अदकालिया तहसील सलूम्बर मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी आराजी नम्बर 537 रकबा 0.02 हैक्टयर किस्म आ.चा. (कुआं) भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात के पडौसी प्रतिवादी सं. 1 के स्वामित्व की आराजीयात व अन्य खातेदार की आराजीयात की भूमि स्थित है। प्रार्थीगण ने अपने आराजीयात की भूमि का सीमांकन कराने के लिये आवेदन किया लेकिन प्रतिवादी सं. 1 ने सीमांकन नहीं कराने दिया और आपसी विवाद समाप्त नही हुआ है ना ही स्पष्ट जानकारी मिली कि किसकी जमीन कहां तक सीमा है जिस कारण वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 में कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम प्रार्थीगण उक्त जमीन की पत्थरगढी करवाने के बाबत नियत शुल्क राजकीय जमा कराने को तैयार है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।<br><br>प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2 लगायत 19 तक की ओर से अधिवक्ता श्री मयुर जोशी ने वकालतनाम मय इकबाली जवाब पेश किया। विपक्षी सं. 1 की ओर अधिवक्ता श्री राकेश प्रजापत ने वकालतनाम एवं जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराने के लिये पटवारी हल्का को बुलाया गया लेकिन मै असंतुष्ट था। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जाकर खारिज फरमाया जावे।<br><br>बहस मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र मे वर्णित मौजा अदकालिया पटवार हल्का अदकालिया आराजी नम्बर 537 रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि की राजस्व जमाबंदी मे संयुक्त खातेदार होकर प्रार्थीगण का नाम दर्ज होना प्रकट आया है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।<br><br>**–:आदेश:–**<br><br>प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा अदकालिया पटवार हल्का अदकालिया भू.अ.नि. सेरिया आराजी नम्बर 537 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म आ.चा. (कुआं) भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।<br><br>प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु लगभग ढाई फिट के कुल 10 पत्थर मय मजदूर | |

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। साथ ही भू–अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा हो ताकी बाद मे नियमानुसार भूकतान किया जा सके। तथा पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर दो प्रतियों में तहसीलदार सलुम्बर के नाम जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करे।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर